



ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड सरकार

पत्रांकः जेएसएलपीएस / लेखा / 099 / 2018 / 979

रांची, दिनांकः 30.05.2024

कार्यालय आदेश

पलाश (झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रोमोशन सोसाईटी) अन्तर्गत संचालित योजनाओं में गठित सामुदायिक संगठनों/फेडरेशन को अनुमान्य वित्तीय अनुदान/सहयोग राशि के संधारण, निकासी एवं उपयोग प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश से निम्नलिखित निदेश दिया जाता है: —

- 1. वर्ममान में सामुदायिक संगठनों के संधारित बैंक खाते से राशि निकासी हेतु संस्थान के सचिव, कोषाध्यक्ष, एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर से किया जा रहा है। इस व्यवस्था में राशि की निकासी हेतु संस्थानों के चेक हस्ताक्षर उपरान्त प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक / प्रभारी को निकासी सत्यापन पदाधिकारी (Verifier) का कार्य दायित्व प्रदान किया जाता है।
- 2. प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक / प्रभारी सम्बन्धित सामुदायिक संगठनों के संधारित बैंक खाते से सभी भुगतान तय नियमों एवं प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए राशि की निकासी को सत्यापित करेगें। मूलरूप में दो प्रतियों में संलग्न प्रपत्र–1 के अनुरूप प्रमाण पत्र प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक जारी करेंगें जिसकी एक प्रति संबंधित संगठन कार्यालय में संधारित होगी तथा दूसरी मूलप्रति संगठन से निर्गत चेक / NEFT/ पत्र के साथ में बैंक को भुगतान हेतु समर्पित किया जायेगा। सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यालय में प्रमाणपत्र की छायाप्रति के साथ एक पृथक पंजी में सभी सत्यापन प्रकरणों का विवरण संधारित करेंगें।
- 3. संकुल स्तरीय संगठन स्तर पर किसी एक संगठन / Payee को एक बार में राशि रू.2.00 लाख से अधिक की निकासी के पूर्व जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगी। इस जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं सदस्य जिला वित्त प्रबंधक / प्रभारी तथा जिला एम.आई.एस. पदाधिकारी / प्रभारी होगें।
- 4. संकुल स्तरीय संगठन के अनुदान बैंक खाता से किसी भी संगठन / Payee को नगद राशि / Bearer Cheque से भुगतान पर रोक लगायी जाती है।
- 5. सामान्यतः वित्तीय लेनदेन सम्बन्धी निर्णय केवल निर्धारित मासिक बैठक में लिया जायेगा। सभी सामुदायिक संगठनों के स्तर पर वित्तीय लेनदेन विषयक आहूत बैठकों में कुल पदेन सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी। बिना कोरम पूरा हुए कोई राशि की निकासी नहीं की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति / अतिआवश्यक होने पर निर्धारित (Scheduled) बैठक के अतिरिक्त विशेष बैठक होने पर, विशेष बैठक के लिए एक वर्ष (अप्रैल से मार्च) में मात्र 3 बैठक ही आयोजित की जा सकेगी। इस विशेष बैठक आयोजन की सूचना सम्बन्धित संगठन पलाश के जिला कार्यालय एवं प्रखण्ड कार्यालय को देना आवश्यक होगा। इन विशेष बैठक में राशि निकासी के लिए भी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति के साथ जिला कार्यालय प्रतिनिधि / प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक की उपस्थिति होने पर राशि निकासी का निर्णय मान्य होगा।

राज्य कार्यालय : द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद भवन, ईटकी रोड, हेहल, रांची–834005,फोन नं0–0651–2951915, 2951916 पंजीकृत कार्यालय : तृतीय तल एफएफपी भवन, एचईसी केंपस, धुर्वा, रांची–834004, झारखण्ड



ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड सरकार

पत्रांकः जेएसएलपीएस / लेखा / 099 / 2018/ ९ न ९

Sign

रांची, दिनांक:30.05.2024

6. भारत सरकार से DAY-NRLMअन्तर्गत Community Operation Manual के आलोक में तय प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए राशि की निकासी किया जाय।

- 7. भारत सरकार से DAY-NRLM अन्तर्गत सामदुायिक संस्थान के रतर पर राशि निकास हेतु प्राप्त निदेश एवं तय वित्तीय सीमा पूर्ववतः लागू रहेगी। उदाहरण स्वरूप आजीविका Non-Farm अन्तर्गत OSF/BRC को सामुदायिक उद्यम निधि (CEF) मद में रू.50000 / –प्रति उद्यमी से अधिक राशि के Business Plan होने पर इसकी निकासी हेतु जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी।
- 8. अन्य सभी सामुदायिक संगठनों यथा (FPO/FPC/PE/PG/BRC/OSF/ASK/RAC/CHC) के द्वारा भुगतान के मामलों में, प्रत्येक लाभुक / हितग्राही को राशि रू.50,000 / – से अधिक के भुगतान पर जिला स्तरीय समिति (कंडिका3,5 अनुसार) की सहमति आवश्यक होगी। साथ ही सामग्री / सेवा शुल्क के भुगतान हेतु NRLM की Community Procurement Manual में निहित नियमों का अनुपालन किया जाय।
- 9. सभी सामुदायिक संगठनों में बैंक चेक बुक का संधारण सुरक्षित स्थान पर किया जाय तथा निर्गत चेक का उल्लेख बैठक कार्रवाई पंजी में भुगतान के साथ अंकित किया जाय।
- 10. संकुल स्तरीय संगठनों के अनुदान बैंक खाता से VO/PG/FPO/OSF/BRC या किसी NRLM निर्धारित संस्थाओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति (Individual) अथवा NGO / अन्य निजी संस्था आदि को कोई भी भुगतान नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ है तो 15 दिनों में इसकी वसूली सुनिश्चित करते हुए इसकी जानकारी जिला कार्यालय में संधारित कर पुनरावृत्ति पर रोक लगाई जाय।
- 11. राशि रूपए 10 (दस) लाख से अधिक के सभी निकासी प्रस्ताव के सम्बंध में राज्य कार्यालय को जिला कार्यालय, पलाश संलग्न प्रपत्र <u>प्रारूप–2</u> में जानकार<u>ी सं</u>सूचित करेंगे।
- 12. प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार समस्त संकुल स्तरीय संगठन के कार्यकारणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का प्रशिक्षण एवं लेखा समीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर किया जाय। जिसमें राज्य स्तरीय पदाधिकारी भी यथासम्भंव भाग लेंगे।
- 13. सोसाईटी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं से फेडरेशन को अब तक विमुक्त कुल अनुदान राशि, उसका उपयोग तथा शेष राशि की स्थिति की जानकारी विहित प्रपत्र में जिलों से अपेक्षित है, जिसका प्रपत्र प्रारूप–3 संलग्न है। राशि के उपयोग में विचलन अथवा अनियमितता होने पर अभियुक्ति या पृथक से पूर्ण तथ्यों का अवश्य उल्लेख हो।
- 14. संकुल स्तरीय संगठन पर वित्तीय लेनदेन की जानकारी प्राप्त करते हुए जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा समय–समय पर नियमित समीक्षा की जाए।

राज्य कार्यालय : द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद भवन, ईटकी रोड, हेहल, रांची–834005,फोन न0–0651–2951915, 2951916 पंजीकृत कार्यालय : तृतीय तल एफएफपी भवन, एचईसी कैंपस, धुर्वा, रांची–834004, झारखण्ड



ालाश (झार**खण्ड स्टे**ट लाईव**ली**हुइ प्रोमोशन सोलाईरी

ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड सरकार

- 15. बिन्दु 1 से 10 के निदेशों को सुनिश्चित कराने के लिए सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबंधक सभी सम्बन्धित बैंक शाखाओं को निदेश पत्र संबंधित प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक के हस्ताक्षर अभिप्रमाणित कर संसूचित करेगें एवं बैंक शाखा से इसकी संपुष्टि प्राप्त करेंगें।
- 16. उपरोक्त निदेशों के आलोक में इस निकासी प्रक्रिया की सूचना सभी सामुदायिक संगठनों को जिला कार्यक्रम प्रबंधक सूचित कर इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएगें।

उक्त निदेशों पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा आवश्यक कार्रवाई 5 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू होगा।

संलग्नकः- यथोक्त।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पलाश, (जे.एस.एल.पी.एस.) राँची।

रांची, दिनांकः 30/05.2024

प्रतिलिपि प्रेषितः—

- मुख्य परिचालन पदाधिकारी, प्रशासन, जे.एस.एल.पी.एस. को सूचनार्थ।
- मुख्य परिचालन पदधिकारी, जे.एस.एल.पी.एस. को सूचनार्थ।
- सभी डोमेन प्रभारी, जे.एस.एल.पी.एस. को सूचनार्थ।

पत्रांकः जेएसएलपीएस / लेखा / 099 / 2018 / 979

- जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, सभी प्रखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जे.एस.एल.पी.एस., राँची।

राज्य कार्यालय ः द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद भवन, ईटकी रोड, हेहल, रांची—834005,फोन नं0—0651—2951915, 2951916 पंजीकृत कार्यालय : तृतीय तल एफएफपी भवन, एचईसी केंपस, धुर्वा, रांची—834004, झारखण्ड

प्रपत्र एक

कार्यालय के लैटर पैड पर

दिनांकः—

संख्याः–

i 7

ę

c

4

r

Ċ

Э

ī L

I fz

7

7

2

/

सत्यापन प्रमाण पत्र¹

में, प्रमाणित करता हूँ कि (संगठन का नाम)
में, प्रमाणित प्रराग दूर र र
मैं, प्रमाणित करता हू कि (संगठन पर्य ना ग्रे बैंक खाता संख्या ग्राम
दिनांकसं धनराशि
रू शब्दा म को भुगतान योजना के निहित नामे को भुगतान योजना के निहित
नामे नामे जा नामी किया गया है।
नाम नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए जारी किया गया है।
्रिक / अनरोध से NEFT/भुगतान
इस प्रमाण पत्र की मूलप्रति के आधार पर ही प्राप्त चेक / अनुरोध से NEFT/भुगतान
करें।

(नाम एवं हस्ताक्षर) प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक प्रखण्ड..... मोबाइलः..... ईमेलः.... मोहर / सील

0/0

संलग्नकः यदि कोई हो

यह प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों तक ही वैध होगा एवं उपर्युक्त में किसी प्रकार की कटिंग / वाईटनर लगाने पर मान्य नहीं किया जायेगा।

<u>م</u> 7 ⁰ .	S.No.	
Signature of Dis	Name of CLF	
Signature of District Committee Members	Block	
mbers	Staten Village	
0/1	nent of Payment Concern Domain (Livelihood Farm/Non Farm/ SMIB/ Valuechain etc.)	
Ch Stand	Statement of Payments made by Community Institution exceeding Rs. 10 lakh District - Concern Domain (Livelihood Farm/Non (Entitlement/Purchase/Gr Purpose Valuechain etc.)	
	ict - Purpose	
	exceeding Rs. 1 Name of Payee	
) lakh Account No. of Payee	
Signature of DPM	Amount (in Rs.)	
	Remarks/ Scheme	Profarma-2

		er/8PM	Signature of Verifier/BPM	60	Call	Note: This format should be furnished in English by using MS Excel only.	ormat should be furnisl	Vote: This f
asurer	Signature of Treasurer	intant/Staff	Signature of Accountant/Staff		0/0			
								Less:
			Block:	<u> </u>				
			Village:		Amount	Party	Cheque	Add:
		on:	Name of Institution:			Reconciliation between Bank and accounts book as below (If any)	tion between Bank and a	Reconciliat
			XXXXX	XXXXX		Total		
						Closing Balance at Bank on 31 March 2024	C. Closing Balance at B	
			XXXX			Cash in Hand	B. Closing Balance of Cash in Hand	
				XXXXX	nents)	nce verification as on 31 March 2024 A. Closing Balance as per accounts book (Total Receipts-Total payments)	Closing Balance verification as on 31 March 2024 A. Closing Balance as per accounts br	closing Bala
desired rows.	nsactions by adding	Above examples are indicative, please make according to actuals transactions by adding desired rows.	's are indicative, pleas	Above example				
	XXXX	Total payment			ХХХХ	Total Receipts		
						Name and purpose		
						From XXXX VO/members		
		Name				Received from XXXXX VO/members		
		Name	Purchases			Interest earned from Bank on deposits		
		Name				Received from XXXXX VO/members	Loan	
		Name	Loan to			THR/Activity type from JSLPS	t	
		Name	PG			OSF from JSLPS		
		Name	Loan to VO			CIF from JSLPS	Fund/Grant (
		Party Name and Purpose	Type of transaction	Date	Amount	Party Name and Purpose	Type of transaction	Date
Remarks	Amount	PAYMENT SIDE				RECEIPTS SIDE		
						11)110100		
				024	31 March 2(ement of Receipt and Payment since inception till 31 March 2024	of Receipt and	ement
Profarma-3		1						
	A CONTRACTOR	いたいとない	n 05 202 ···					

The The Address of th